



# जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक बैठक शाखा/प्र.प./पी.एस.आर./2023/

दिनांक / /2023

## “अधिसूचना”

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिषद की 193वीं बैठक दिनांक 17.05.2023 के पत्र क्रमांक 10 में प्रस्तुत विवाह समारोह हेतु उपलब्ध उत्सव परिसर के मैदान, हॉल एवं कमरों की दरों में वृद्धि संदर्भ में संशोधित प्रस्ताव पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः निम्नानुसार नवीन निर्धारित दरें अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जाएं।

अ. वि.वि. में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/ सभी वर्ग के कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विवाह हेतु -

क्र.	भवन का नाम	राशि	GST Extra
1.	उत्सव परिसर के मैदान का प्रतिदिन का किराया	20000/-	18%
2.	उत्सव परिसर के मुख्य हॉल के प्रतिदिन का किराया	1500/-	18%
3.	उत्सव परिसर के एक कमरे का प्रतिदिन का किराया	400/-	18%

ब. वि.वि. में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/सभी वर्ग के कर्मियों के आश्रितों/रिश्तेदारों के विवाह हेतु -

क्र.	भवन का नाम	राशि	GST Extra
1.	उत्सव परिसर के मैदान का प्रतिदिन का किराया	50000/-	18%
2.	उत्सव परिसर के मुख्य हॉल के प्रतिदिन का किराया	2000/-	18%
3.	उत्सव परिसर के एक कमरे का प्रतिदिन का किराया	500/-	18%

(क्रमांक 2 एवं 3 में विद्युत प्रभार समाहित है।)

नोट: उक्त नवीन दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ अमानत राशि के रूप में राशि रु 5000/- पृथक से जमा करना होगी, जो कि समारोह हेतु जमा राशि में समायोजित की जा सकेगी, लेकिन आवेदक द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने की स्थिति में उक्त 5000/- की राशि वापिस नहीं की जावेगी।
2. उत्सव परिसर में विवाह समारोह से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक बैठक/2017/130 दिनांक 17.3.2017 एवं बैठक/2018/1188 दिनांक 7.5.2018 यथावत लागू रहेंगी।
3. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता संबंध में राशि रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत यथावत रहेगी।

कुलसचिव

क्रमशः 2

आवेक क. पी.एस.आर. 3903  
दिनांक 5/7/23  
पुलपाते कार्यालय  
ज. ने. क. वि. जबलपुर  
आवेक क्रमांक 920  
दिनांक 04/07/23

85  
8507  
Registered  
on website  
Directe Intumabls  
अनुमोदित  
कर्मचारी को  
परम को  
05/07/23